न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्याः— 35/2022

1. मुन्नी देवी पुत्री औंकारमल गोदारा पत्नी रघुवीर सिह डूडी, जाति जाट, निवासी न्यू कॉलोनी, डिफेन्स स्कूल के पास, कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. मोहनी देवी पुत्री औंकारमल गोदारा पत्नी रिशाल सिह, जाति जाट, निवासी तोलासेही, तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं।
3. अणची देवी पुत्री औंकारमल गोदारा पत्नी हरिसिह महला, जाति जाट, निवासी चूरू बाईपास, तिलक पब्लिक स्कूल, कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. शारदा देवी पुत्री औंकारमल गोदारा पत्नी रघुवीर सिह पूनियां, जाति जाट, निवासी ग्राम तोलासेही, तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामस्वरूप गोदारा पुत्र औंकारमल गोदारा, जाति जाट, निवासी जाटावास, बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. सत्यवीर पुत्र औंकारमल गोदारा, जाति जाट, निवासी जाटावास, बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. भंवर सिह पुत्र स्व0 धनपति देवी व जगन सिह महला, जाति जाट निवासी ग्राम मुरोत का बास, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. उमेश कुमार पुत्र स्व0 धनपति देवी व जगन सिह महला, जाति जाट निवासी ग्राम मुरोत का बास, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. सुमन देवी पुत्र स्व0 धनपति देवी व जगन सिह महला, जाति जाट निवासी ग्राम मुरोत का बास, तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट्स

— — —

प्रथम अपील अ0 धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधि0 1956 के तहत बखिलाफ न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं नामान्तकरण सं0 1033 दिनांक 30.11.1975 ग्राम कायस्थपुरा, तहसील व जिला झुंझुनूं।

— — —

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया, अभिभाषक— अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री संदीप काजला, अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट्स [illegible] की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पो[illegible] स[illegible] की ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.09 16:36:57 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक [illegible]0.2022

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के नामान्तरकरण संख्या 1033 दिनांक 30.11.1975 भूमि वाके ग्राम कायस्थपुरा के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्टस नामान्तरण आदेश दिनांक 30.11.1975 से स्वथित होकर अपील नीचे लिखे अनुसार प्रस्तुत कर रहे है नामान्तकरण सं0 1033 दिनांक 30.11.1975 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। कस्बा बगड़ में कुशला वल्द नाथा कोम जाट गत

खसरा नं0 142 रकबा 29 बीघा 14 बिश्वा का खातेदार काश्तकार रहा था। कुशला के देहान्त पर उक्त भूमि जरिये उत्तराधिकार औकारमल पुत्र कुशला को प्राप्त हुई। गत खसरा नम्बर 142 रकबा 29 बीघा 14 बिश्वा वाके ग्राम बगड़ से बाद सैटलमेन्ट राजस्व ग्राम कायस्थपुरा में वर्तमान खसरा नं0 292 रकबा 7.51 हैक्टर कायम हुये है जो वर्तमान में रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश के तहत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। गत खसरा नं0 142 रकबा 29 बीघा 14 बिश्वा वाके ग्राम बगड़ हाल खसरा नं0 292 रकबा 7.51 हैक्टर वाके ग्राम कायस्थपुरा का खातेदार काश्तकार औंकारमल पुत्र कुशला अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 का पिता व रेस्पोडेन्ट सं0 3 लगायत 5 का नाना रहा है। अपीलाधीन नामान्तक़रण आदेश जरिये दान पत्र दर्ज हुआ है। उक्त दानपत्र की भूमि कुशला को विवादित भूमि कुशला पुत्र नाथा से जरिये उत्तराधिकार प्राप्त होने से पैतृक भूमि रही है। इस कारण पैतृक भूमि में स्वयं के हिस्से से अधिक भूमि का दान पत्र करने का हक अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नही होता है। अपीलान्टस का उक्त दान पत्र की भूमि में पैतृक भूमि होने से हक हिस्सा रहा है। इस प्रकार अपीलान्टस के हक हिस्से का दान पत्र अकेले औंकारमल पुत्र कुशला द्वारा किये जाने से उक्त दान पत्र आरम्भतः अवैध व शून्य दस्तावेज रहा है। अपीलान्ट्स को उक्त नामान्तकरण आदेश की कभी कोई जानकारी नही रही है। औंकारमल पुत्र कुशला की वंशावली निम्न प्रकार रही है :–

<table>
<tr><td colspan="8">औंकारमल (फौत)</td></tr>
<tr><td>मुन्नी देवी पुत्री</td><td>मोहनी देवी पुत्री</td><td>अणची देवी पुत्री</td><td>शारदा देवी पुत्री</td><td colspan="3">धनपति देवी (फौत) पुत्री</td><td>रामस्वरूप पुत्र</td><td>सत्यवीर पुत्र</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>भवर सिह पुत्र</td><td>उमेश कुमार पुत्र</td><td>सुमन पुत्री</td><td></td><td></td></tr>
</table>

औंकारमल पुत्र कुशला को भूमि गत खसरा नं0 142 कुशला व नाथा से जरिये उत्तराधिकार प्राप्त हुई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत औंकारमल पुत्र कुशला की मृत्यु होने पर औकारमल के उत्तराधिकार एवं वारिसान के नाम उक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज होना चाहिये था जो रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 द्वारा कुटरचित वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर दर्ज नही होने दिया। उक्त नामान्तकरण आदेश विधि की अवज्ञा कर तस्दीक किया गया है जो आरम्भतः अवैध व शून्य है। रेस्पोडेन्ट सं0 3 लगायत 5 औंकारमल की पुत्री धनपति के पुत्र व पुत्रीयां होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण सं0 1033 दिनांक 30.11.1975 को निरस्त कर पत्रावली अदालत मातहत को इस आदेश के साथ पुनः प्रेषित की जावे कि औंकारमल पुत्र कुशला के वारिसान की जांच कर अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नामान्तरण दर्ज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि कस्बा बगड़ में कुशला वल्द नाथा कोम जाट गत खसरा नं0 142 रकबा 29 बीघा 14 बिश्वा का खातेदार काश्तकार रहा था। कुशला के देहान्त पर उक्त भूमि जरिये उत्तराधिकार औकारमल पुत्र कुशला को प्राप्त हुई। गत खसरा नम्बर 142 रकबा 29 बीघा 14 बिश्वा वाके ग्राम बगड़ से बाद सैटलमेन्ट राजस्व ग्राम कायस्थपुरा में वर्तमान खसरा नं0 292 रकबा 7.51 हैक्टर कायम हुये है जो वर्तमान में रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश के तहत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। गत खसरा नं0 142 रकबा 29 बीघा 14 बिश्वा वाके ग्राम बगड़ हाल खसरा नं0 292 रकबा 7.51 हैक्टर वाके ग्राम कायस्थपुरा का खातेदार काश्तकार औंकारमल पुत्र कुशला अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 का पिता व रेस्पोडेन्ट सं0 3 लगायत 5 का नाना रहा है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश जरिये दान पत्र दर्ज हुआ है। उक्त दानपत्र की भूमि कुशला को विवादित भूमि कुशला पुत्र नाथा से जरिये उत्तराधिकार प्राप्त होने से पैतृक भूमि रही है। इस कारण पैतृक भूमि में स्वयं के हिस्से से अधिक भूमि का दान पत्र करने का हक अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नही होता है। अपीलान्टस का उक्त दान पत्र की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.09 16:36:57 IST
Reason: SelfAttested

मे पैतृक भूमि होने से हक हिस्सा रहा है। इस प्रकार अपीलान्टस के हक हिस्से का दान पत्र अकेले औंकारमल पुत्र कुशला द्वारा किये जाने से उक्त दान पत्र आरम्भतः अवैध व शून्य दस्तावेज रहा है। अपीलान्ट्स को उक्त नामान्तकरण आदेश की कभी कोई जानकारी नही रही है। औंकारमल पुत्र कुशला को भूमि गत खसरा नं0 142 कुशला व नाथा से जरिये उत्तराधिकार प्राप्त हुई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत औंकारमल पुत्र कुशला की मृत्यु होने पर औकारमल के उत्तराधिकार एवं वारिसान के नाम उक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज होना चाहिये था जो रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 द्वारा कुटरचित वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर दर्ज नही होने दिया। उक्त नामान्तकरण आदेश विधि की अवज्ञा कर तस्दीक किया गया है जो आरम्भतः अवैध व शून्य है। रेस्पोडेन्ट सं0 3 लगायत 5 औंकारमल की पुत्री धनपति के पुत्र व पुत्रीयां होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण सं0 1033 दिनांक 30.11.1975 को निरस्त कर पत्रावली अदालत मातहत को इस आदेश के साथ पुनः प्रेषित की जावे कि औंकारमल पुत्र कुशला के वारिसान की जांच कर अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नामान्तरण दर्ज किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 लगायत 5 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के संबंध मे किये गये दानपत्र को 3 साल मे ही सक्षम न्यायालय मे चेंलेज किया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा प्रकरण मे ऐसा नही किया गया है। यदि अपीलान्ट का विवादित भूमि मे हक भी बनता है तो सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करें। अपीलान्ट की दानपत्र के आधार पर यह अपील मे दानपत्र उचित नही है। वाके ग्राम कायस्थपुरा के क्रम मे भरा गया नामान्तरकरण संख्या 1033 दिनांकित 30.11.1975 नियमानुसार स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट ने यह अपील 47 साल बाद पेश की है जो अन्दर मियाद नही है। अपीलान्ट ने अपील मेमो मे भी अपील देरी से पेश करने का युक्तियुक्त कारण नही बताया है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 6 ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम कायस्थपुरा के क्रम मे भरा गया नामान्तरकरण संख्या 1033 दिनांकित 30.11.1975 नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट ने यह अपील 47 साल बाद पेश की है जो अन्दर मियाद नही है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों एवं बहस वकील पक्षकारान् से साफ जाहिर है कि नामान्तरकरण संख्या 1033 दिनांक 30.11.1975 वाके ग्राम कायस्थपुरा भरते समय अपीलान्ट को पैतृक सम्पत्ति मे उसके हक से वंचित किया गया है जो उचित नही है। अपीलान्ट का विवादित भूमि मे भूमि पैतृक होने से हिस्सा बनता है। अतः अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 30.11.1975 निरस्त किया जाता है। अदालत मातहत का रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर [illegible] जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.09 16:36:57 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 31.10.2022 को खुले [illegible] मे सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू